पत्र संख्या–11/क0च0आ0–02–06/2017 का0 11687/(3650)

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक–28 नवम्बर, 2017

विषयः– **दिनांक–20.11.2017 को मुख्य सचिव, झारखण्ड द्वारा विभागीय समीक्षात्मक बैठक में दिये गये दिशा निदेश के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय पत्रांक–9155, दिनांक–18.08.2017**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–9155, दिनांक–18.08.2017 द्वारा दिनांक–07.08.2017 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक में मुख्य सचिव महोदया द्वारा आपके विभाग अन्तर्गत विभिन्न सेवा/संवर्गों की रिक्तियों की स्थिति को सूचीबद्ध करने तथा अधिक रिक्तियाँ रहने की स्थिति में रिक्तियों के कारणों का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई विहित कर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया था। साथ ही विभाग में वर्त्तमान परिपेक्ष्य में पदों की आवश्कता का आकलन कर अनावश्यक पदों को प्रत्यर्पित (Surrender) करने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु इस संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन इस विभाग में अबतक अप्राप्त है।

अतः मुख्य सचिव महोदया द्वारा दिनांक–20.11.2017 को आयोजित बैठक में दिये गये दिशा–निदेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के संबंध में विभाग स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभागीय नोडल पदाधिकारी के माध्यम से तत्संबंधी प्रतिवेदन इस विभाग को **दिनांक–31.12.2017** तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

28/XI/17

सरकार के उप सचिव।

जल संसाधन विभाग (प्रधान सचिव/सचिव कोषांग) संख्या 3669 दिनांक 07.12.17

L.O.K.O.I

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

दिनांक 12-12-17

ज्ञापांक – 5/बैठक - 9-02/17 3182

प्रतिलिपि – संयुक्त सचिव, प्रशासक कार्यालय, सु. बहु. परि. जमशेदपुर / अपर निदेशक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास / सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित) जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

दिनांक 12-12-17

ज्ञापांक 3182

प्रतिलिपि — संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा -01, 02, 04, 09 एवं 14 / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा - 03 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु: यथोक्त

सरकार के अवर सचिव

दिनांक 12-12-17

ज्ञापांक 3182

प्रतिलिपि - वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

मु०स०का०

झारखण्ड सरकार

मुख्य सचिव कार्यालय

(चर्या टिप्पणी)

गै०सं०प्रे० संख्या 2697 / मु०स०का०

दिनांक 22/11/17

प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची।

प्रधान सचिव,
<u>कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग</u>

दिनांक 20.11.2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभागीय समीक्षात्मक बैठक में दिए गए दिशा–निदेश की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि आगामी समीक्षात्मक बैठक में वर्णित दिशा–निदेश के परिपेक्ष्य में की गई कार्रवाई की समीक्षा व्यापक रूप से की जाएगी।

अतः अनुरोध है कि तत्संबंधी कार्रवाई यथाशीघ्र/समयबद्ध रूप से की जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

21.XI.2017

(राजबाला वर्मा)
मुख्य सचिव।

(3)

मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 20.11.2017 को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं की समीक्षा के क्रम में दिए गए निदेश

1. रिक्तियां

- पूर्व के निदेश के अनुपालन में झारखंड लोक सेवा आयोग/झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के साथ संस्थागत समन्वय हेतु प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह के बुधवार एवं चतुर्थ सप्ताह के गुरूवार को प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में बैठक आहूत की जा रही है। इस व्यवस्था को अभी जारी रखने की आवश्यकता है ताकि चयन प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
- विभागवार रिक्तियों को सूचीबद्ध करने के लिए सभी विभागों को पत्र प्रेषित किया गया है। इस कार्य हेतु **दिनांक 31.12.2017 का समय–सीमा** निर्धारित करते हुए तत्संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया।

2. नियमावली

- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (24) उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग (10), कृषि, पशुपालन एव सहकारिता विभाग (07), जल संसाधन विभाग (03) कल्याण विभाग (2) के विभिन्न सेवा संवर्गों की नियमावली बनाने हेतु संबंधित विभागों को पत्र प्रेषित किया गया है, लेकिन अभी तक प्रतिवेदन अप्राप्त है।

- प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग से अपेक्षा की गई कि वे संबंधित विभागों के साथ समीक्षा करते हुए विभिन्न कैडरों/ पदों के आमेलन के संबंध में वर्तमान परिस्थिति के परिपेक्ष्य में तकनीकी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगी।
- सभी संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारियों को एक **समय–सीमा** निर्धारित करते हुए कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

3. स्थानीय नीति के आलोक में नियुक्ति

- जिला स्तरीय पदों की नियुक्ति में स्थानीय नीति का अनुप्रयोग करते हुए एक अभियान चलाने का निदेश दिया गया ।
- इस अभियान का विभागीय स्तर पर अनुश्रवण हेतु एक उच्च पदाधिकारी के अधीन कोषांग का गठन किया जाना आवश्यक होगा।

4. H.R.M.S

- इस प्रक्रिया को लागू करने हेतु प्रारंभ में बड़े विभागों, यथा – स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग आदि को सूचीबद्ध करते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

विशेष :

- **HRMS**
- नियमावली
- पदों की आवश्यकता

  पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग; गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग; स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग; कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभागों की विशेष चर्चा/विमर्श/ समीक्षा दिनांक 01.12.2017को 5.00 बजे अप0 में प्रस्तावित है।

नोट :

- आगामी विभागीय समीक्षा दिनांक 19.12.2017 को 5.00 बजे अ0 में निर्धारित है।